

सीए की धारा 6बी के तहत नागरिकता आवेदनों के प्रसंस्करण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी)

- 1. ऑनलाइन आवेदन:** आवेदक नामित अधिकारी (डीओ) की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति (DLC) के माध्यम से राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (EC) को ऑनलाइन आवेदन [<https://indiancitizenshiponline.nic.in> अथवा मोबाइल एप्लिकेशन **CAA-2019** पर] जमा करेगा, आवश्यक दस्तावेज संलग्न करेगा और शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करेगा। आवेदन जमा करने पर, फॉर्म IX में एक पावती इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी हो जाएगी और यह आवेदक को उपलब्ध होगी। आवेदन जमा होते ही यह अधिकार प्राप्त समिति और जिला स्तरीय समिति दोनों को उपलब्ध हो जायेगा।
- 2. दस्तावेज की जांच एवं सत्यापन:** आवेदक द्वारा फॉर्म ऑनलाइन जमा करने के बाद, जिला स्तरीय समिति द्वारा फॉर्म की जांच की जाएगी। फॉर्म की जांच के बाद, DLC आवेदक को ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से उस तारीख और समय के बारे में सूचित करेगा, जिस पर आवेदक सत्यापन के लिए आवेदन के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों के मूल के साथ व्यक्तिगत रूप से DLC के समक्ष उपस्थित होगा।
- 3. पंजीकरण या देशीयकरण के लिए निष्ठा की शपथ:** जांच/सत्यापन के बाद, यदि दस्तावेज सही पाए जाते हैं, तो नामित अधिकारी उस आवेदक को "निष्ठा की शपथ" दिलायेगा, जिसने धारा 5 के तहत पंजीकरण या धारा 6 के तहत देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्रदान करने के लिए आवेदन किया है। तथापि, यदि दस्तावेजों में कोई कमी है तो जिला स्तरीय समिति आवेदक को दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए कह सकती है। आवेदक सत्यापन के लिए बाद की तारीख पर आवश्यक दस्तावेज ला सकता है। यदि आवेदक उचित अवसर देने के बावजूद निष्ठा की शपथ लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में विफल रहता है, तो DLC ऐसे आवेदन को अस्वीकृत करने के विचार के लिए ई.सी.(EC) को अग्रेषित कर सकती है। आवेदक को पंजीकरण (धारा 5) या देशीयकरण (धारा 6) के लिए निष्ठा की शपथ केवल तभी दिलाई जाएगी जब यह पुष्टि हो जाए कि आवेदक द्वारा सभी अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं। नामित अधिकारी ऑनलाइन प्रणाली पर प्रमाणित करेगा कि आवेदक कि नागरिकता संबंधी दस्तावेज मूल रूप में देखे/सत्यापित किये गए हैं। जिला स्तरीय समिति, प्रशासित निष्ठा की शपथ को भी ऑनलाइन प्रणाली में अपलोड

करेगी और दस्तावेजों के सत्यापन के संबंध में पुष्टि के साथ आवेदन को इलेक्ट्रॉनिक रूप में अधिकार प्राप्त समिति को अग्रेषित करेगी।

4. **पृष्ठभूमि/दस्तावेज़ जांच का सत्यापन/सुरक्षा:** दस्तावेज़ जांच चरण पूरा होने के तुरंत बाद आवेदन सुरक्षा एजेंसी के लिए पहुंचने योग्य हो जाएगा। सुरक्षा एजेंसी की रिपोर्ट सीधे अधिकार प्राप्त समिति को ऑनलाइन उपलब्ध होगी।
5. **अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) द्वारा निर्णय:** अधिकार प्राप्त समिति आवेदन की जांच करेगी और ऐसी जांच जो वह आवश्यक समझेगी, करने के बाद संतुष्ट होने पर और सुरक्षा एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर, अधिकार प्राप्त समिति भारत की नागरिकता के लिए किए आवेदन को मंजूर/अस्वीकार कर सकती है।
6. **पंजीकरण या देशीयकरण द्वारा नागरिकता का प्रमाण पत्र प्रदान करना:** जिस आवेदक ने नागरिकता प्रदान करने के लिए आवेदन किया है, उसे अधिकार प्राप्त समिति द्वारा पंजीकरण या देशीयकरण का एक डिजिटल प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। प्रमाणपत्र में विवरण कैप्चर करने वाला बार कोड या क्यूआर कोड होगा। यदि आवेदक ने आवेदन चरण में इसका विकल्प चुना है तो उसे पंजीकरण या देशीयकरण प्रमाणपत्र की स्याही से हस्ताक्षरित प्रति जारी की जाएगी और इसे आवेदक को अधिकार प्राप्त समिति के कार्यालय से प्राप्त करना होगा।
7. **नागरिकता रजिस्टर:** अधिकार प्राप्त समिति नागरिकता नियमों (ऑनलाइन प्रारूप के अनुसार) के तहत एक इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर बनाए रखेगी जिसमें भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत या देशीयकृत व्यक्तियों का विवरण होगा।

Standard Operating Procedure (SOP) for processing of citizenship applications under Section 6B, CAA

1. **Online Application:** Applicant will submit application online [at <https://indiancitizenshiponline.nic.in> or mobile application namely **CAA-2019**] to the Empowered Committee through the District Level Committee headed by Designated Officer (DO), attach requisite documents and make the payment of fee online. On submission of application, an acknowledgment in Form IX will be auto-generated electronically and this will be available to the applicant. As soon as the application is submitted, it will be accessible to both the Empowered Committee (EC) and the District Level Committee (DLC).

2. **Scrutiny & verification of documents:** After the applicant has submitted the form online, the form will be scrutinised by the District Level Committee. Post scrutinization of form, the DLC will intimate to the applicant through e-mail/SMS the date and time on which the applicant would be expected to visit the DLC in person along with originals of all the documents attached with the application for verification.

3. **Oath of Allegiance for Registration or Naturalisation:** Upon scrutiny/verification, if the documents are found in order, the Designated Officer will administer “Oath of Allegiance” to the applicant who has applied for grant of citizenship by registration under Section 5 or naturalisation under Section 6. However, if there is any deficiency in documents, the District Level Committee may ask the applicant to provide the same. The applicant can bring the required documents on subsequent date for verification. In case applicant fails to appear in person to subscribe the application and take oath of allegiance despite giving reasonable opportunities, the DLC may forward such application to EC for consideration of refusal. Oath of Allegiance for registration (Section 5) or naturalisation (Section 6) will be administered only after it is confirmed that all requisite

documents have been submitted by the applicant. The Designated Officer will certify on the online system that documents are verified/seen in original. The District Level Committee shall also upload the “oath of allegiance” administered, in the online system and forward the application in electronic form along with confirmation regarding verification of documents to the Empowered Committee.

4. **Verification/Security of background/document check:** The application will become accessible to the security agency immediately after the document check and Oath of Allegiance steps are completed. The report of the security agency will flow online to the Empowered Committee directly.
5. **Decision by Empowered Committee (EC):** The Empowered Committee will scrutinise the application and on being satisfied after making such inquiry as it considers necessary and based on the report of the security agency, the Empowered Committee may approve/reject the application for the citizenship of India.
6. **Grant of Certificate of Citizenship by Registration or Naturalisation:** The applicant who has applied for grant of citizenship will be issued a digital certificate of registration or naturalisation by the Empowered Committee. The certificate will have bar code or QR code capturing the details. Ink signed copy of the certificate of registration or naturalisation shall be issued to the applicant in case he/she has opted for the same at the application stage and this will have to be collected by the applicant from the office of the Empowered Committee.
7. **Citizenship Register:** The Empowered Committee will maintain an electronic register in accordance with the Citizenship Rules (as per online format) containing the details of persons so registered or naturalised as a citizen of India.